

8 वकीलों के हस्तक्षेप के कारण पूर्वानुसार वास्ते...  
दिनांक 18/4/18 को पेश हो।

Riy

पतावली अन्तर्गत राजस्व लोक सहायता अधिनियम  
अनुच्छेद 2(1) के तहत 2018 के रूप में पंजीकृत  
कोड में पेश हुई जा रही है अपरिचित लोक  
प्रार्थना पत्र पेश कर विवेक किया है कि वह  
उपरोक्त में के अन्तर्गत कोई प्रार्थना नहीं है  
है। इस विषय में उक्त ही हजेरा पर हों  
(शरिफ) करमाणां गरीबों को वादी द्वारा पेश  
पत्र के अन्तर्गत पत्र दवावादी शरिफ  
दिया जाता है पतावली केसल शुभार बीच  
नम्बर से करमाणां Riy